


अपीलान्ट के अभिभावक उप० नदीं और नदी
 अपीलान्ट उप० ही कई बार अन्तराल-अन्तराल
 में आवाजें लगवाई गईं परन्तु उनमें से कोई
 उपस्थित नहीं हुआ। अतः यह अपील अड़म दायरी
 अड़म पेरवी में खारिज की जाती है परन्तु
 फौसल शुमार लेकर नम्बर से कम की जाकर
 बाद तकमील दाखिल इफतार है। आदेश सुनाया
 गया।


 अनिल कुमार अग्रवाल
 जिला कलक्टर
 धौलपुर (राज०)